

क. १३५/२६

1314/26

पत्रां पेश दुर्ग वक्रु उप०। काही वकील द्वारा
 पत्रि सं. ३ की तन्वी को अवसर प्राप्त
 पूर्व में अनेक अवसर दिये जा चुके
 हैं अन्व अवसर दिया जाना उचित नहीं
 है। अतः पत्रां ए.० के नियम ०११५
 के तहत इसी स्तर पर खारिज की जाती
 है। पत्रां फ़ैसल शुमार दोफ़र दाखिल
 दफ़तर हो।



अधीन / प्रान्तपाल / दुर्ग एवं तन्वी विभाग
 प्रिन्सिपल सी.डी. / प्रान्तपाल